—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 134/2022

उनवान

आदि वेलफेयर ट्रस्ट जरियें पॉवर आफ अटोर्नी देवाराम पुत्र अम्बा जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

1. भानुप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 17.4.25

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 0.89 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 19.12.22 को जेसीबी से नीवं खोदने लगा व मना करने पर भी निर्माण कार्य करना चालू किया हुआ है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नसीराबाद से आराजी मूतनाजा की मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 0.89 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी का कथन है कि उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 19.12.22 को जेसीबी से नीवं खोदने लगा व मना करने पर भी निर्माण कार्य करना चालू किया हुआ है। तहसीलदार नसीराबद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 490 अप्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर के पास ही स्थित है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी आराजी पर ही निर्माण कार्य किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना बताया गया है। तथा खसरा नम्बर 490 वर्तमान में रिक्त होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति भी पेश नही की है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:48 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकार से दखलदांजी नही की जा रही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 490 जो कि प्रार्थी की खातेदारी का है पर अप्रार्थी द्वारा दखलदांजी अथवा निर्माण कार्य करना सिद्व नही होता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं की खातेदारी आराजी पर ही निर्माण कार्य किया गया है। अमः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 0.89 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:48 IST
Reason: SelfAttested